



सामुदायिक वन प्रबंधन एवं संरक्षण संवर्धन का ग्राम सभा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रदर्शन

सामुदायिक वन संसाधन समिति झिरना पोड़ी द्वारा ग्राम सभा में दी गई प्रस्तुति

गौरैला पेंड्रा मरवाही 04 दिसम्बर (देशबन्धु)। वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत प्राप्त ग्राम सभा - झिरनापोड़ी ने अपने ग्राम सभा स्तर पर सामुदायिक प्रबंधन और संरक्षण संवर्धन के तहत किये जा रहे कार्य को सामुदायिक वन संसाधन समिति के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रतिवर्ष कि भांति दिनांक 4 से 6 दिसंबर तक विश्व सामुदायिक सप्ताह मनाया जा रहा है जिसमें भारत, किर्गिस्तान, स्पेन, मलेशिया और बांग्लादेश में विभिन्न समुदाय द्वारा किये जा रहे जल जंगल जमीन के ऊपर संरक्षण संवर्धन प्रबंधन रख रखाव के लिए किये जा रहे कार्य को एक मंच पर लाने की एफईएस संस्था के द्वारा पहल किया जा रहा है। विदित हो कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्योस्तव दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन - गौरैला पेंड्रा मरवाही आदिवासी विकास विभाग के द्वारा ग्राम सभा झिरनापोड़ी के सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन को अपने स्टाल प्रदर्शनी में शामिल किया गया और प्रोत्साहित किया गया था। आज 4



दिसंबर को ग्राम सभा झिरनापोड़ी के सामुदायिक वन संसाधन समिति के अध्यक्ष राम सिंह मार्को सचिव धर्मेन्द्र सिंह और कोषाध्यक्ष कमल सिंह कोराम के द्वारा अपने सामुदायिक अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक कांफ्रेंस में प्रस्तुत किया गया जिसमें समुदाय के द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावा प्रक्रिया और चुनौती के बारे जानकारी दिया गया और समुदाय के द्वारा किये जा रहे प्रबंधन के कार्य जैसे जंगलों को आग से बचाव, अवैध कटाई से रोकना और जैव विविधता संरक्षण पर किये जा रहे कार्य को विस्तार पूर्वक बताया गया जिससे कांफ्रेंस में उपस्थित सभी लोगों ने सराहा आज के ऑनलाइन कांफ्रेंस बैठक में ग्राम सभा झिरनापोड़ी के जीवन सिंह, बाल कुमार, तौली के उमेन्द्र सिंह पोड्टाम, अशोक यादव नव निर्माण चेतना मंच संस्था चन्द्र प्रताप सिंह, भानमती वाकरे, जय श्री वरकडे और सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के जिला अध्यक्ष मनीष सिंह धुर्वे उपस्थित थे।

, छ.ग.राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

टर-24, कयाबांठा अटल नगर, नवा रायपुर-492002

.mdcgmandiboard@gmail.com,

griportal.cg.nic.in

724 नवा रायपुर, दिनांक 04/12/2024